खाद्य विनियमन अनुभाग

खाद्य विनियमन अनुभाग खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ़एसएसएआई) के प्रशासन से संबंधित है, जिसकी स्थापना एफ़एसएस अधिनियम 2006 की धारा 4 के अंतर्गत खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने तथा मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं आयात को विनियमित करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए की गई है। इस अनुभाग के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम का प्रशासन और उसमें संशोधन।
2. खाद्य सुरक्षा और मानक नियमों की अधिसूचना।
3. खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमनों तथा उनमें संशोधनों के बारे में अधिसूचना जारी करने के लिए एफएसएसएआई को केन्द्र सरकार की मंजूरी प्रदान करना।
4. खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति
5. खाद्य प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति।
6. खाद्य प्राधिकरण के पदेन सदस्यों की नियुक्ति।
7. योजना स्कीम के अंतर्गत खाद्य प्राधिकरण को धनराशि जारी करना।
8. खाद्य सुरक्षा और खाद्य प्राधिकरण के बारे में संसदीय प्रश्न और संसदीय मामले।
9. खाद्य सुरक्षा और खाद्य प्राधिकरण से संबंधित वीआईपी संदर्भों, पत्रों, अभ्यवेदनों आदि से संबंधित कार्रवाई करना ।
10. एफएसएसएआई के विभिन्न प्रस्तावों जैसे समझौते, समझौता ज्ञापन आदि पर सरकार की मंजूरी प्रदान करना।

हमसे संपर्क करें (अद्यतन):-

1. श्री राजीव वधावन, सलाहकार (लागत), दूरभाष: 23063585, ईमेल: r.wadhawan15@nic.in
2. श्री गोपाल आदित्य रघुवंशी, उप सचिव, दूरभाष: 23061116, ईमेल: gopal.aaditya@nic.in

3. श्री रंजन डोले, अवर सचिव, दूरभाष: 23061883, ईमेल: ranjan.doley90@nic.in
4. श्री सुमित कुमार, अनुभाग अधिकारी, दूरभाष: 23062861, ईमेल: food-mohfw@gov.in